

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

दोयालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

फरद नम्बर.....

बनाम.....

मिसर वगैरह.....

प्रकरण सं. 1/111/24

तारीख रजू. 29.05.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.05.24	<p>वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर दावा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जर्ज रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 12.06.24 को पेश हो।</p>	
12.06.24	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रबीब खान ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी की तलवी की शामिल रिपोर्ट पेश हुई। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते तलवी जोर दिनांक 19.06.24 को पेश हो।</p>	
19.6.24	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p> <p>पत्रावली पेश। P.O. लाहौर..... अधिष्ठाता..... है। के पेश हो। पत्रावली दिनांक 26.6.24 को पेश हो।</p>	
26.6.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी प्रतिवादीगण वापसुद्ध शामिल के अनुसार न्यायक्षेत्र में भेजा दिया जाता है। पत्रावली शामिल दिनांक 24.7.24 को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय
इनिशियल जज

24.7.24

पत्रावली वहील वादी द्वारा वहील वादी
इपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एड.
श्री चंद्रकांत शर्मा ने U.T दी। आगामीतक
पेशी पर जवाब व कालत्यामा पेशा करें।
पत्रावली भाषण दिनांक 14.8.24 को पेश हो

UT
@ 24/7
चक्रवर्ती

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

14.8.24

पत्रावली पेशा 30 साल..... प्रथम.....

..... कार्य में है।

पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।

~~14.8.24~~
18.9.24 रजिस्ट्रार

04.9.24

पत्रावली वहील वादी के शर्पना पत्र पर पेशा हुआ
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा
ने कालत्यामा दिनांक 14.8.24 को पेश किया। जो
शामिल पत्रावली है। वहील वादी ने वादी की ओर
से शर्पना पत्र पेश कर तक्रार को इसी स्तर पर
निलंबित करने का वाकत गिबल किया है। आदेशिका
पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये जितने अधिवक्ता
रहीस खान ने पहचान की। वहील वादी के
शर्पना पत्र व पत्रावली का अपलोडकम किया
गया। अतः वहील वादी का शर्पना पत्र स्वीकार
किया जाकर दावा इसी स्तर पर आप (निलंबित)
किया जाता है। पत्रावली फैलल शूमार लेकर अक्ट
से कम हो। तदनुक्रमीत काबिल इफ्तद हो।

कलसुम
जुव
focal

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०